

THE UTTAR PRADESH TAXATION LAWS (AMENDMENT)
ACT, 1972

(U. P. Act No. 11 of 1972)

Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Kar Vidhi (Sanshodhan).
Adhiniyam, 1972]

AN
ACT

to amend certain taxation laws with a view to raising resources for
refugee relief and other purposes

It is hereby enacted in the Twenty-second Year of the Republic of India
as follows :

CHAPTER I

Preliminary

(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Taxation Laws (Amendment) Act, 1972.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Short title,
extent and
commencement.

(*For Statement of Objects and Reasons please see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated January 6, 1972).

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on January 5, 1972 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on January 10, 1972).

(Received the Assent of the President on February 9, 1972 under Article 201, of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated February 10, 1972).

(3) The provisions of sections 2, 3, 4, 5, clauses (a) and (c) of section 6, sections 8, 9, clauses (a) and (d) of section 11, sections 14, 15, 17, 18 and 19 shall be deemed to have come into force on November 15, 1971 and the remaining provisions shall, except as otherwise provided, come into force at once.

CHAPTER II

Amendment of the United Provinces Entertainments and Betting Tax Act, 1937

Amendment of section 3 of U. P. Act VIII of 1937. 2. In section 3 of the United Provinces Entertainments and Betting Tax Act, 1937, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(1-A) There shall further be levied and paid on all payments for admission to any entertainment a surcharge at the rate of ten paise per such payment for admission, and such surcharge shall be deemed to be part of the entertainment tax for purposes of this Act.”

Amendment of section 11. 3. In section 11 of the principal Act, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(3) The stewards shall issue a ticket for each stake or bet received into the totalizer, and there shall be charged and levied a surcharge at the rate of 10 paise on each ticket, and such surcharge shall be deemed to be part of the totalizer tax for purposes of this Act.”

Amendment of section 14. 4. In section 14 of the principal Act, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(3) The licensed book-maker shall issue a card for each bet laid with him, denoting the amount of the bet, and there shall be charged and levied a surcharge at the rate of ten paise on each card, and such surcharge shall be deemed to be part of the betting tax for purposes of this Act.”

CHAPTER III

Amendment of the Uttar Pradesh Sales Tax Act, 1948

Amendment of section 3-A of U. P. Act XV of 1948. 5. In section 3-A of the Uttar Pradesh Sales Tax Act, 1948, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,—

(a) in sub-section (1), in clause (a) for the words “ten per cent” the words “twelve per cent” shall be substituted;

(b) in sub-section (2), for the words “three per cent”, wherever they occur, the words “three and a half per cent” shall be substituted.

Amendment of section 3-D. 6. In section 3-D of the principal Act,—

(a) for sub-section (1) the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(1) Except as provided in sub-section (2), there shall be levied and paid, for each assessment year or part thereof, a tax on the turnover, to be determined in the prescribed manner,—

(a) of purchases of such foodgrains (including cereals and pulses), at such rate not exceeding two per cent,

(b) of first purchases of such other goods, at such rate not exceeding—

(i) the maximum rate for the time-being specified in section 15 of the Central Sales Tax Act, 1956, in respect of goods declared by section 14 of that Act to be of special importance in inter-State trade or commerce, and

(ii) five per cent in respect of other goods,

and with effect from such date, as the State Government may, by notification in the *Gazette*, specify in relation to purchases made within Uttar Pradesh by a dealer (whether on his own account or on account of any one else), or through a dealer acting as a purchasing agent.

(b) for sub-sections (2) and (3), the following sub-sections shall be substituted, namely :—

"(2) Where in respect of any goods notified under sub-section (1), the purchaser or, as the case may be, the first purchaser, whether on his own account or on account of any one else, is a person other than a registered dealer, there shall be levied and paid, for each assessment year or part thereof, a tax on the turnover, to be determined in the prescribed manner, of sale of such goods by the dealer who sells the goods or through whom the goods are sold to such purchaser, and the rate of tax shall be the same as notified under sub-section (1).

(3) Where tax is payable, and has been so paid, under sub-section (1) or sub-section (2), as the case may be, by a commission agent, on any turnover of sales or of purchases on behalf of his principal, the principal shall not be liable to pay the tax in respect of the same turnover.

(3-A) No dealer shall be liable to tax under this section if his turnover of sales or of purchases or both, as the case may be, of the assessment year is less than rupees twelve thousand or such larger amount as the State Government may, by notification in the *Gazette*, specify in that behalf, either in respect of all dealers in any goods or in respect of a particular class of such dealers, unless he has furnished—

(a) a declaration under sub-section (4) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956, or

(b) a certificate or declaration referred to in sub-section (7), in which case he shall be liable to pay tax on such turnover at the rate notified under sub-section (1), notwithstanding that his turnover of sales or of purchases or both is less than the said minimum."

(c) in sub-section (5), for the words "three per cent", wherever they occur, the words "three and a half per cent" shall be substituted ; and

(d) for sub-section (7), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(7) (a) Every purchase within Uttar Pradesh by a dealer, either directly or through another, whether on his own account or on account of any one else, shall, for the purposes of clause (b) of sub-section (1), be deemed to be the first purchase, unless the dealer proves otherwise to the satisfaction of the assessing authority after having furnished such declaration or certificate, obtained from the selling dealer, in such form and manner and within such period, as may be prescribed.

(b) Every sale within Uttar Pradesh by a dealer, either directly or through another, whether on his own account or on account of any one else, shall, for the purposes of sub-section (2), be deemed to be a sale to a person other than a registered dealer, unless the dealer selling the goods proves otherwise to the satisfaction of the assessing authority after having furnished such declaration or certificate, obtained from the purchaser of such goods, in such form and manner and within such period, as may be prescribed."

(e) at the end, the following Explanation shall be inserted and be deemed always to have been inserted, namely :

"Explanation—For the purposes of this Act, the following goods shall be deemed to be different from each other, namely—

(a) *khandsari* molasses, including *sheera-sayar*, *sheera-galawat*, and *sheera-salawat* ;

(b) *rab*, including *rab-sayar*, *rab-galawat* and *rab-salawat* ;

(c) *gur-lauta* and *gur-raskat* ;

and accordingly, nothing in this section shall be construed to prevent the imposition, levy or collection of tax under section 3-A in respect of any one of the said goods merely because tax has been imposed, levied or collected under this section in respect of any other of them, or *vice versa*."

Omission of section 3-E. 7. Section 3-E of the principal Act shall be omitted.

Amendment of section 3-F. 8. In section 3-F of the principal Act,—

(a) for the words "twenty-five paise on every hundred rupees", the words "one half of one per cent" shall be substituted ;

(b) in the Explanation, for the words and figure "goods which are exempt from tax under section 4", the words "goods in relation to which he is, by virtue of any other provision of this Act, not liable to pay tax" shall be substituted and be deemed always to have been substituted.

Amendment of section 8-A. 9. In section 8-A of the principal Act, for sub-sections (3) and (3-A) the following sub-sections shall be substituted, namely :—

"(3) For the purposes of realisation of the tax by a registered dealer from a purchaser under sub-section (2), the price of goods sold by the dealer shall be rounded off to the nearest rupee, that is to say, a fraction of fifty paise or over shall be counted as one rupee and a fraction of less than fifty paise shall be disregarded. Where the amount of tax to be realised works out to a fraction of a paise, then, if the fraction is one-half of a paise or over, it shall be rounded off to the next higher paise, and a fraction of less than half paise shall be disregarded.

(4) Without prejudice to the provisions of section 12, any dealer who sells goods shall issue to the purchaser a cash memo or a bill, as the case may be, signed and dated by himself or by his servant, manager or agent and shall preserve its carbon copy for a period of five years from the expiration of the assessment year during which it is issued, in the following cases, namely :—

(a) where the dealer, whether registered or not, is one—

(i) whose turnover in the last preceding assessment year was not less than rupees forty-eight thousand, or

(ii) in a case where the dealer was in business during only a portion of the last preceding assessment year, whose monthly average turnover in that portion was not less than rupees four thousand, or

(iii) in a case where the dealer has commenced business only during the course of the assessment year, whose monthly average turnover has been not less than rupees four thousand,

and the price of goods sold is more than five rupees ;

(b) where the dealer is a registered dealer and he realises or purchases tax on the sale of such goods, and in such case, the cash memo or bill shall show separately the price of the goods sold and the amount realised as tax.

Explanation—For the purposes of this sub-section, the turnover of the dealer in respect of goods in relation to sale whereof by him he is, by virtue of any other provision of this Act, not liable to pay tax shall also be included.

(5) Any officer referred to in section 13 may exercise the powers under that section for purposes also of preventing the evasion of stamp duty, if any, due on any cash memo or bill referred to in sub-section (4).

Amendment of section 28. 10. For section 28 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

"28. (1) The State Government, if it is of opinion that it is necessary so to do with a view to preventing evasion of tax and other dues payable under this Act in respect of the sale of goods within the State after their import by road into the State, may, by notification in the Gazette, direct the establishment of check posts and barriers at such places within the State close to its territorial boundaries as may be specified in the notification.

(2) Every registered dealer, who wishes to import by road into the State from any place outside the State such goods, which exceed such quantity, measure or value, as the State Government may by notification in the *Gazette* specify, shall furnish to the selling dealer a declaration in two copies, duly filled in and signed by him, containing the prescribed particulars in a prescribed form which may be obtained on payment of the prescribed fee from the assessing authority having jurisdiction over the area where he carries on business.

(3) The driver or other person incharge of any vehicle carrying goods as aforesaid shall also carry with him the copies of the declaration referred to in sub-section (2) and such other documents, containing such particulars, as may be prescribed, and shall, before crossing any check post or barrier established under sub-section (1), deliver to the officer incharge thereof one of the copies of the said declaration and deliver the other copy and the remaining documents alongwith the goods to the consignee. The officer incharge of the check post or barrier to whom a copy of the declaration is delivered shall grant a receipt therefor, and it shall not be necessary for the driver or other person incharge of the vehicle to deliver a copy of the declaration at any other check post or barrier that he may cross if he shows to the officer incharge thereof such receipt.

(4) At every such check post or barrier, the driver or other person incharge of any such vehicle shall stop the vehicle and keep it stationary for so long as may be required by the officer incharge of that check post or barrier, and allow such officer to inspect the goods and all documents, referred to in sub-section (3), and shall, if so required, give his name and address and the names and addresses of the owner of the vehicle and of the consignor and the consignee of the goods.

(5) The officer incharge of the check post or barrier shall have the power to detain or seize such of the goods in the vehicle as exceed the quantity, measure or value specified in the notification under sub-section (2) and—

(i) as are not shown in the documents referred to in sub-section (3), or

(ii) in respect whereof the said documents are false or are reasonably suspected to be false,

and may also detain or seize any of the said documents.

(6) The provisions of sections 102 and 103 of the Code of Criminal Procedure, 1898, shall, *mutatis mutandis*, apply in relation to any search or inspection under this section as they apply to a search or inspection under the said Code.

(7) The provisions of section 13-A and sub-section (3) of section 13 shall, *mutatis mutandis*, apply in relation to such seizure of goods and documents.

(8) The registered dealer importing the goods as aforesaid shall preserve the copy of the declaration and other documents delivered to him under sub-section (3) for such period as may be prescribed, and produce them before the assessing authority whenever within that period demanded by it, and where the dealer contends that the goods were not sold by him within the State after their import but were either consumed by him or were sold in the course of inter-State trade or commerce or in the course of export out of India, the assessing authority may call for such other information and documents as it thinks fit."

11. In the First Schedule to the principal Act,—

(a) for the entries in Column II against serial numbers 1, 32, 68, 89 and 97, the following entries shall respectively be *substituted*, namely :—

"1. Agricultural implements, other than implements worked by human or animal power, including their parts and accessories other than tyres and tubes.

32. All electrical goods, instruments, apparatus, appliances, and all such articles the use of which cannot be had except with the application of electrical energy, including fans, lighting bulbs,

Amendment of
First Schedule.

fluorescent tubes (including their starters, chokes, fixtures, fittings and accessories), electrical earthenware and porcelain, and all other accessories and component parts, whether sold as a whole or in parts, but excluding electrical equipment, plants and their accessories required for generation, distribution or transmission of electrical energy and electric motors and parts thereof.

68. Paper of all kinds including hand-made paper, whether meant for writing, printing, copying, packing or for any other purpose.

89. Spirits and spirituous liquors of all kinds, including rectified spirit, denatured spirit, methyl alcohol and absolute alcohol, but excluding country liquor.

97. Wood and timber of all kinds and of all trees, of whatever species, including *Ballies* and Bamboos, whether growing or cut or sawn, but excluding their products and firewood." ;

(b) for the entries in Column II against serial numbers 82 and 99, the following entries shall respectively be substituted, namely :—

"82. Scents and perfumes excluding *agarbattis* and *dhoopbattis*.

99. Tyres and tubes, excluding rubber rings and tyres and tubes of motor-cycles, motor-scooters, motorettes and motor vehicles" ;

(c) after serial number 89, the following entry 89-A shall be inserted and be deemed to have been inserted with effect from the twenty-second day of August, 1971, namely :—

Serial number	Description of goods	Point at which tax is levied
I	II	III
89-A	Steel wires	M or I

(d) after serial number 108, the following entries shall be inserted, namely :—

Serial number	Description of goods	Point at which tax is levied
I	II	III
109	Tractors and parts, accessories and attachments thereof, other than tyres and tubes	M or I
110	Ice	M or I
111	Rice Polish, Rice Bran and Rice Husk	M or I

(e) after serial number 111, as so inserted, the following entry shall be inserted, namely :—

Serial number	Description of goods	Point at which tax is levied
I	II	III
112	Electronic goods, equipment, apparatus and appliances and parts and accessories thereof.	M or I

12. In th

(a) f
figures
substitu

(b) ;
figures
to have

(c) f
figures
substitu

13. (1)
other authorit
to have been
of the Uttar
any notificac
3-D, or of secti
imposed, asses
tion inserted
material time:

(2) With
the following

(a)
any co
sub-sec

(b)
of any

Ame

14. In :
1935, herein
Explanation

(3)
(1),
a sur
as af
for tl

15. In
following p
"P
sectio
Dece:

16. In
(a
(Vel
pers
seco
have

12. In the Second Schedule to the principal Act,—

Amendment of
Second Schedule.

(a) for the figures "31" in Column III against serial number 16, the figures "13" shall be substituted and be deemed always to have been substituted;

(b) for the figures "1973" in Column II against serial number 19, the figures and letter "1973-A" shall be substituted and be deemed always to have been substituted; and

(c) for the figures "3237" in Column II against serial number 28, the figures "3227" shall be substituted and be deemed always to have been substituted;

13. (1) Notwithstanding any judgment, decree or order of any court or other authority, any tax imposed, assessed, levied or collected, or purporting to have been imposed, assessed, levied or collected before the commencement of the Uttar Pradesh Taxation Laws (Amendment) Act, 1972, by virtue of any notification issued or purporting to have been issued under section 3-A or 3-D, or of section 3-AB of the principal Act, shall be deemed to have been validly imposed, assessed, levied or collected in accordance with law, as if the Explanation inserted by this Act in section 3-D of that Act had been in force at all material times when such tax was imposed, assessed, levied or collected.

Validation.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the following consequences shall, in particular, ensue, that is to say—

(a) no suit or other proceeding shall be entertained or continued in any court or before any authority for the refund of any tax referred to in sub-section (1); and

(b) no court shall enforce any decree or order directing the refund of any such tax.

CHAPTER IV

Amendment of the United Provinces Motor Vehicles Taxation Act, 1935

14. In section 4 of the United Provinces Motor Vehicles Taxation Act, 1935, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, after the Explanation, the following sub-section shall be inserted, namely:—

Amendment of
section 4 of U. P.
Act V of 1935.

"(3) In respect of vehicles referred to in Articles I, II, III and clauses (1), (2) and (3) of Article IV of the said Schedule, there shall be paid a surcharge at the rate of ten per cent on the amount of the tax payable as aforesaid, and such surcharge shall be deemed to be an additional tax for the purposes of section 11 and other provisions of this Act."

15. In section 5 of the principal Act, for the second proviso thereto, the following proviso shall be substituted, namely:—

Amendment of
section 5.

"Provided further that the additional tax payable under sub-section (3) of section 4 for the period from November 15, 1971, to December 31, 1971, shall be paid on or before January 15, 1972."

16. In the First Schedule to the principal Act,—

Amendment of
the First
Schedule.

(a) In Part B (Transport Vehicles), in respect of Article No. IV (Vehicles plying for hire for the conveyance of passengers and light personal luggage of passengers), for the entries (2) and (3) in the second and third columns, the following entries shall be deemed to have been substituted with effect from January 1, 1972, namely:—

	Column 2	Column 3
(2) With seating capacity for four persons exclusive of the driver	...	400
(3) With seating capacity for more than four, but not more than six persons exclusive of the driver	...	400
(a) Three wheeler	...	400
(b) Others	...	500

(b) after Part B, the following Part C, shall be inserted and be deemed to have been inserted with effect from the date of commencement of Chapter V of the Uttar Pradesh Taxation Laws (Amendment) Act, 1969, namely :—

"PART C

Explanations

(1) Where any motor vehicle is used for various purposes or in such a manner as to cause it to be taxable under more than one Article of this Schedule, the tax is payable at the highest appropriate rate.

(2) 'Unladen weight' means the weight of a vehicle when unladen, including all parts, equipment, stores, fuel, water and accumulators, which are necessary for and ordinarily used with the vehicle when working.

(3) 'Authorised load' means the maximum load of goods which the vehicle is permitted to carry and which can be arrived at by subtracting the unladen weight of the vehicle from the registered laden weight.

(4) 'Pneumatic tyre' means a tyre containing air inserted by mechanical pressure.

(5) 'Resilient tyre' means a tyre, not being a pneumatic tyre, made of India-made rubber and of such thickness as to protrude not less than nineteen millimetres beyond the rim of the wheel.

(6) 'Non-resilient tyre' means a tyre which is neither a pneumatic tyre nor a resilient tyre.

(7) Where a motor vehicle is equipped with sleeping berths, each sleeping berth shall, for the purposes of Articles IV, V and VII, be regarded as the equivalent of two passenger seats.

(8) Every trailer attached to or drawn by a motor vehicle, which is taxable under either of Articles IV to VII, shall be regarded as a separate motor vehicle liable to the appropriate tax as prescribed by those Articles."

CHAPTER V

Amendment of the Indian Stamp Act, 1899

17. In the Indian Stamp Act, 1899, as amended in its application to Uttar Pradesh, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, after section 3-A, the following section shall be inserted, namely,—

Insertion of a new section in Act II of 1899.
Other instruments chargeable with additional duty.

"3-AA. (1) Every instrument chargeable with duty under section 3 read with Article Nos. 1, 2, 3, 4, 5; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 17-A, 17-B, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 34-A, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 (b) or (c), 63, 64 or 65 of Schedule I-B shall, in addition to such duty, be chargeable with a duty of ten paise.

(2) The provisions of this Act shall, so far as may be, apply in relation to the additional duties chargeable under sub-section (1) in respect of instruments referred to therein as they apply in relation to the duty chargeable under section 3 in respect of those instruments:

Provided that no rule or order under clause (a) of section 9 reducing or remitting the duty on an instrument or class of instruments in force immediately before the date of commencement of this section shall apply in relation to the additional duty chargeable under sub-section (1) in respect of such instrument:

Provided further that the additional duty, chargeable under sub-section (1), shall not count towards the total amount of duty for the purposes of the Explanation to section 3."

18. In

(a)

(b)

Amendmen

19. In 1962, after be inserted,

"(3

shall tax o carria the ra fare f passer journ

Exp case c passer the a

(4)

relatic apply the se to the State

Exp have Nagar cipalit

20. The is hereby req

PSUP—

18. In Schedule I-B of the Principal Act,—

Amendment of
Schedule I-B.

(a) the existing Article 25-A shall be *renumbered* 34-A ;

(b) *after* Article 25 the following Article shall be *inserted*, namely :—

“25-A. Counterpart or duplicate including counterfoil or carbon copy of a bill or cash memo for an amount exceeding five rupees required to be maintained under any law relating to tax on the sale or purchase of goods for the time being in force.

... Ten paise.

NOTE—The Explanation to section 3 shall not apply to the duty prescribed in this Article.”

CHAPTER VI

Amendment of the Uttar Pradesh Motor Gadi (Yatri-kar) Adhiniyam, 1962

19. In section 3 of the Uttar Pradesh Motor Gadi (Yatri-kar) Adhiniyam, 1962, *after* sub-section (2), the following sub-sections and Explanations shall be *inserted*, namely :—

Amendment of
section 3 of U. P.
Act VIII of 1962.

“(3) From and after the commencement of this sub-section, there shall further be levied and paid to the State Government an additional tax on every passenger carried by a stage carriage, not being a stage carriage plying exclusively within the limits of city or municipality, at the rate of ten paise on the fare for each journey (where the ordinary fare for such journey is not less than one rupee), payable by such passenger to the operator of the stage carriage in respect of every journey in the State.

Explanation—The additional tax under this sub-section shall, in the case of a contract carriage, be levied in respect of the number of passengers for whom accommodation is provided in it, irrespective of the actual number of passengers carried.

(4) The provisions of this Act shall, so far as may be, apply in relation to the additional tax chargeable under sub-section (3) as they apply in relation to the tax under sub-section (1), so, however, that the second proviso to sub-section (1) of section 5 shall apply in relation to the said additional tax with such adaptation or modification as the State Government may by notification in the *Gazette* direct.

Explanation—In this section, the expressions ‘city’ and ‘municipality’ have the meanings respectively assigned to them in the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959 and the United Provinces Municipalities Act, 1916.”

20. The Uttar Pradesh Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 1971, is hereby repealed.

Repeal of U. P.
Ordinance no. 19
of 1971.

उत्तर प्रदेश कर-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1972)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 5-1-1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 10-1-1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।)

(‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 9-2-1972 ई० की स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 10-2-1972 ई० को प्रकाशित हुआ।)

शरणार्थी सहायता तथा अन्य प्रयोजनों के लिये संसाधन जुटाने के उद्देश्य से कतिपय कर विधियों का अपेक्षित संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

- 1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायगा।
(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
(3) धारा 2, 3, 4, 5, धारा 6 क खंड (क) तथा (ग), धारा 8, 9, धारा 11 के सं(क) तथा (घ), धारा 14, 15, 17, 18 और 19 के उपबन्ध 15 नवम्बर, 1971 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे, तथा शेष उपबन्ध, अन्यथा व्यवस्था के सिवाय, सुरन्त प्रवृत्त होंगे।

संक्षिप्त नाम
प्रसार तथा
प्रारम्भ

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 6-1-1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।)

अध्याय 2

यूनाइटेड प्राविसेज इंटरटेनमेंट्स एण्ड वीटिंग टैक्स ऐक्ट, 1937 का संशोधन

सू० पी० ऐक्ट
संख्या 8, 1937
की धारा 3 का
संशोधन

2—यूनाइटेड प्राविसेज इंटरटेनमेंट्स एण्ड वीटिंग टैक्स ऐक्ट, 1937 में, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

“(1-क) किसी आमोद में प्रवेश के निमित्त सभी प्रवेश शुल्कों पर दस पैसे प्रति प्रवेश शुल्क की दर से एक अधिभार भी लगाया जायेगा और उसका भुगतान किया जायेगा, तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त ऐसा अधिभार आमोद कर का अंग समझा जायेगा।”

धारा 11 का
संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 11 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

“(3) योगमापी में प्राप्त प्रत्येक दाँव अथवा पण के निमित्त स्टयअर्ड टिकट जारी करेंगे तथा प्रत्येक टिकट पर दस पैसे प्रति टिकट की दर से अधिभार लिया जायेगा और आवेय होगा, तथा ऐसा अधिभार इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त योगमापी कर का अंग समझा जायेगा।”

धारा 14 का
संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

“(3) लाइसेंस प्राप्त पणफक उसके पास प्रस्तुत प्रत्येक पण के निमित्त एक कार्ड जारी करेगा जिसमें पण की धनराशि उल्लिखित होगी, तथा प्रत्येक कार्ड पर दस पैसे की दर से अधिभार लिया जायेगा और आवेय होगा, तथा ऐसा अधिभार इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त पण कर का अंग समझा जायेगा।”

अध्याय 3

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 ई० का संशोधन

संयुक्त प्रांतीय
ऐक्ट सं० 15,
1948 ई० की
धारा 3-क का
संशोधन

5—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 ई० में, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3-क में—

(क) उपधारा (1) में, खंड (क) में, शब्द “दस प्रतिशत” के स्थान पर शब्द “चार प्रतिशत” रख दिये जायें;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द “तीन प्रतिशत” जहाँ भी आये हों, के स्थान पर शब्द “साढ़े तीन प्रतिशत” रख दिये जायें।

धारा 3-घ का
संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 3-घ में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

“(1) सिवाय उस दशा में जिसकी व्यवस्था उपधारा (2) में है, प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये व्यापारी द्वारा (चाहे अपने लेखे अथवा किसी अन्य के लेखे), या ऐसे व्यापारी के माध्यम से जो क्रय-एजेन्ट के रूप में कार्य कर रहा हो, उत्तर प्रदेश के अन्दर किये गये—

(क) खाद्यान्नों (जिसके अन्तर्गत अनाज तथा दालें भी हैं) के क्रय के संबंध में, ऐसी दर से, जो दो प्रतिशत से अधिक नहीं होगी,

(ख) किसी ऐसे अन्य माल के प्रथम क्रय के संबंध में, ऐसी दर से, जो—

(1) सेंट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, 1956 की धारा 14 द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विशेष महारत्र के घोषित माल के संबंध में, उक्त ऐक्ट की धारा 15 में तत्समय निर्दिष्ट अधिकतम दर, तथा

(2) अन्य माल के संबंध में, पांच प्रतिशत,

से अधिक नहीं होगी,

एसे क्रय धन पर जो निर्धारित रीति से अवधारित किया जायेगा, और एसे दिनांक से, जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे, कर लगाया जायेगा और उसका भुगतान किया जायेगा।”;

(ख) उपधारा (2) तथा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारायें रख दी जायें, अर्थात्:—

“(2) यदि उप-धारा (1) के अधीन विज्ञापित किसी माल के संबंध में क्रयकर्ता अथवा, यथास्थिति, प्रथम क्रय-कर्ता, चाहे अपने लेखे अथवा किसी अन्य के लेखे, रजिस्टर्ड व्यापारी से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति हो, तो प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये उस व्यापारी के, जो ऐसे क्रय-कर्ता को ऐसा माल बेच रहा हो अथवा जिसके माध्यम से ऐसे माल को बिक्री की जा रही हो, ऐसे माल के क्रय धन पर, जो निर्धारित रीति से अवधारित किया जायेगा, कर लगाया जायेगा और उसका भुगतान किया जायेगा, और कर की दर वही होगी जो उप-धारा (1) में विज्ञापित की गयी हो।

(3) जब कमीशन एजेंट द्वारा अपने निवेदों की ओर से किसी विक्रय-धन अथवा क्रय-धन पर, गथास्थिति, उप-धारा (1) अथवा उप-धारा (2) के अधीन कर देय हो, और उसका भुगतान कर दिया गया हो, तो निवेदों उसी विक्रय धन अथवा क्रय-धन पर कर का देनदार न होगा।

(3-क) कोई व्यापारी इस धारा के अधीन कर का देनदार नहीं होगा यदि कर-निर्धारण वर्ष का उसका विक्रय-धन अथवा क्रय-धन अथवा दोनों जैसी भी दशा हो, बारह हजार रुपये से, अथवा ऐसी अधिक धनराशि से, जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा, या तो किसी माल के समस्त व्यापारियों के संबंध में या किसी विशेष वर्ग के व्यापारियों के संबंध में तदर्थ निर्दिष्ट करे कम हो, सिवाय उस दशा के जब कि उसने—

(क) सेंट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, 1956 की धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन घोषणा पत्र प्रस्तुत किया हो, या

(ख) उपधारा (7) में उल्लिखित प्रमाण-पत्र अथवा घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया हो,

और ऐसी दशा में वह अपने विक्रय-धन या क्रय-धन या दोनों के उक्त न्यूनतम से कम होते हुए भी, ऐसे विक्रय-धन या क्रय-धन पर उपधारा (1) के अधीन विज्ञापित दर से कर का देनदार होगा।”;

(ग) उप-धारा (5), में शब्द 'तीन प्रतिशत' जहां भी आये हों, के स्थान पर शब्द 'साढ़े तीन प्रतिशत' रख दिये जाय; और

(घ) उप-धारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

“(7) (क) जब तक कि व्यापारी विक्रेता व्यापारी से प्राप्त किया हुआ ऐसा घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि में, जो निर्धारित की जाय, प्रस्तुत करने के बाद कर-निर्धारण अधिकारी के संतोषानुसार अन्यथा प्रमाणित न कर दे किसी व्यापारी द्वारा स्वयं अथवा किसी अन्य के माध्यम से, अपने लेखे या किसी अन्य के लेखे, उत्तर प्रदेश में किया गया प्रत्येक क्रय, उपधारा (1) के खंड (ख) के प्रयोजनार्थ, प्रथम क्रय मना जायेगा।

(ख) जब तक कि माल बेचने वाला व्यापारी ऐसे माल के क्रेता से प्राप्त किया हुआ ऐसा घोषणा-पत्र अथवा प्रमाण-पत्र, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि में, जो निर्धारित की जाय, प्रस्तुत करने के बाद कर-निर्धारण अधिकारी के संतोषानुसार अन्यथा प्रमाणित न कर दे, किसी व्यापारी द्वारा, स्वयं अथवा किसी अन्य के माध्यम से, अपने लेखे या किसी अन्य के लेखे, उत्तर प्रदेश में की गयी प्रत्येक विक्री, उप-धारा (2) के प्रयोजनार्थ, रजिस्टर्ड व्यापारी से भिन्न व्यक्ति को की गयी विक्री मानी जायेगी।”;

(ङ) अन्त में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जाय तथा सर्वेव से रखा गया समझा जाय, अर्थात्—

“स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित माल एक दूसरे से भिन्न समझ जायेंगे, अर्थात्—

(क) खांडसारी शीरा, जिसके अन्तर्गत शीरा सायर, शीरा गलावट और शीरा सलावट भी हैं,

(ख) राव, जिसके अन्तर्गत राव सायर, राव गलावट और राव सलावट भी हैं,

(ग) गुड़-लीटा और गुड़ रसकट,

और वस्तुतः, इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि उक्त माल में से किसी एक पर धारा 3-क के अन्तर्गत केवल इस कारण कर आरोपित करने, लगाने या वसूल करने पर रोक है कि उनमें से किसी अन्य पर इस धारा के अधीन कर आरोपित, लगाया या वसूल किया जा चुका है, अथवा विलोमतः।”

7—मूल अधिनियम की धारा 3-ङ निकाल दी जाय।

8—मूल अधिनियम की धारा 3-च में,—

(क) शब्द “पच्चीस पैसे प्रति सौ रुपये” के स्थान पर शब्द “आधा प्रतिशत” रख दिये जाय;

1956 का ऐक्ट,
74

धारा 3-ङ का
निकाला जाना

धारा 3-च का
संशोधन

(ख) स्पष्टीकरण में: शब्द तथा श्रृंख "ऐसे माल के संबंध में जो धारा 4 के प्रांग कर से मुक्त हों" के स्थान पर शब्द "ऐसे माल के संबंध में जिसके संबंध में वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के प्रभाव से कर के भुगतान के लिये दायी न हो" रख दिये जा तथा सदैव से रखे गये समझे जायं ।

धारा 8-क का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 8-क में, उपधारा (3) और (3-क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायं, अर्थात्—

“(3) किसी रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन किसी क्रेता से वह बसूल करने के प्रयोजनार्थ व्यापारी द्वारा बेचे गये माल के मूल्य की गणना निकलतम रूप में की जायेगी, अर्थात् पचास पैसे या उससे अधिक का एक रकम गिना जायेगा और पचास पैसे से कम को छोड़ दिया जायेगा । यदि बसूल गिने जाने वाले कर से धनराशि पैसे की भिन्न में हो तथा भिन्न आधा पैसा या उससे अधिक हो तो उसकी गणना अगले उच्चतर पैसे में की जायेगी और आधा पैसा से कम की भिन्न को छोड़ दिया जायेगा ।

(4) धारा 12 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित दृष्टांतों में, कोई व्यापारी जो माल बेचना है, क्रेता को, यथास्थिति, कौश मीमो या विल पर उसका या उसके शेवक, मैनेजर या एजेंट का दिनांक महित इस्तेमाल होगा, और वह उसकी कारबन प्रिन को उम कर-निर्धारण वर्ष की, जिसमें वह जारी किया जाय, समाप्ति से पांच वर्ष की अवधि के लिये रखेगा, अर्थात्—

(क) यदि व्यापारी, चाहे वह रजिस्टर्ड हो या नहीं, ऐसा हो,—

(1) जिसका ठीक पिछले कर-निर्धारण वर्ष में विक्रय-धन अदस्तावेज हजार रुपये से कम न रहा हो, या

(2) उम दशा में जब व्यापारी ने ठीक पिछले कर-निर्धारण वर्ष के केवल एक भाग में कागोत्रार किया हो, जिसका उम भाग में मासिक औसत विक्रय-धन चार हजार रुपये से कम न रहा हो, या

(3) उस दशा में जब व्यापारी ने केवल कर-निर्धारण वर्ष के दौरान कागोत्रार प्रारम्भ किया हो, जिसका मासिक औसत विक्रय-धन चार हजार रुपये से कम न रहा हो,

और बेचे गये माल का मूल्य पांच रुपये से अधिक है ;

(ख) यदि व्यापारी कोई रजिस्टर्ड व्यापारी है और वह ऐसे माल की विक्री पर कर या विक्रय कर बसूल करना है, और ऐसी दशा में कौश मीमो या विल में बेचे गये माल का मूल्य और कर के रूप में बसूल की गयी धनराशि अलग-अलग दिखायी जायेगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये व्यापारी का ऐसे माल के संबंध में जिस संबंध में वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के प्रभाव से कर के भुगतान के लिये दायी न हो, विक्रय-धन भी सम्मिलित किया जायेगा ।

(5) धारा 13 में अभिविष्ट कोई अधिकांगे उपधारा (4) में अभिविष्ट किसी कौश मीमो या विल पर देय स्टाम्प शुल्क यदि कोई हो, के अपवंचन को रोकने के प्रयोजनों के लिये भी उक्त धारा के अधीन अधिकांगों का प्रयोग कर सकता है।”

धारा 28 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 28 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

“28—(1) यदि राज्य सरकार की यह शय हो कि राज्य में सड़क टांग माल आयात किये जाने के पश्चान राज्य के भीतर माल की विक्री के संबंध में जांच चौकियों या इस अधिनियम के अधीन देय कर तथा अन्य देयों के अपवंचन को नाके की स्थापना और रोकने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक है तो वह, गजट में मार्गस्थ माल का विज्ञप्ति द्वारा, अपनी प्रादेशिक मीमाओं के निकट, राज्य के भीतर ऐसे स्थानों पर, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जायं, जांच चौकियां तथा नाके स्थापित करने का निदेश दे सकती है ।

(2) प्रत्येक रजिस्टर्ड व्यापारी, जो राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य के भीतर सड़क द्वारा ऐसा माल आयात करना चाहता हो, जो ऐसे परिमाण, माप या मूल्य से, जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे, अधिक हो, विक्रेता व्यापारी को एक घोषणा-पत्र, दो प्रतियों में, यथाविधि भरा हुआ और उसके दाग इन्साभरित देगा, जिसमें निर्धारित प्रपत्र में, जो निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर ऐसे कर-निर्धारक अधिकारी से

जिस निर्धा

(2) ध्योरे अधी अधि लेखप घोष प्रभा की प्र दिख

अन्य जांच तथा प्रपेि पाने

(2

रोक या

18 सा

धा

उसे नि तो कि क नि रं

11-

जिसका उम क्षेत्र पर, जहाँ वह कारोबार करता हो, अधिक्षेत्र हो, प्राप्त किया जा सकता है, निर्धारित व्योरे दिये जायेंगे।

(3) उपर्युक्त माल ले जाने वाली गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति उपधारा (2) में अभिविष्ट घोषणा-पत्र की प्रतियां तथा ऐसे अन्य लेख-पत्र भी, जिसमें ऐसे व्योरे दिये गये हों, जो निर्धारित किये जायें, अपने साथ ले जायगा, और उप-धारा (1) के अधीन स्थापित किमी जांच-चीकी या नाके को पार करने के पहले उसके प्रभारी अधिकारी को उक्त घोषणा-पत्र की एक प्रति देगा और माल सहित दूसरी प्रति तथा शेष लेखपत्र माल पाने वाले को देगा। जांच-चीकी या नाके का प्रभारी अधिकारी, जिसे घोषणा-पत्र की एक प्रति दी जाय, उसके लिये एक रसीद देगा, और गाड़ी के ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति को किसी अन्य जांच-चीकी या नाके पर, जिसे वह पार करे, घोषणा-पत्र की प्रति देना आवश्यक न होगा यदि वह उसके प्रभारी अधिकारी को ऐसी रसीद दिखला दे।

(4) प्रत्येक ऐसी जांच-चीकी या नाके पर, किसी ऐसी गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति गाड़ी को रोकेंगे और उसे तब तक रोकेंगे जब तक उस जांच-चीकी या नाके के प्रभारी अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, और ऐसे अधिकारी को माल तथा उप-धारा (3) में अभिविष्ट सभी लेख-पत्रों का निरीक्षण करने देगा, और, यदि अपेक्षित हो, अपना नाम तथा पता और गाड़ी के स्वामी और माल भेजने वाले तथा माल पाने वाले का नाम तथा पता देगा।

(5) जांच-चीकी या नाके के प्रभारी अधिकारी को गाड़ी के ऐसे माल को जो उपधारा (2) के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट परिमाण, माप या मूल्य से अधिक हो, और—

(1) जो उपधारा (3) में अभिविष्ट लेख-पत्रों में दिखाया न गया हो, या

(2) जिसके संबंध में उक्त लेख-पत्र मिथ्या हो अथवा जिनके मिथ्या होने का समुचित संदेह हो,

रोकने या अभिगृहीत करने की शक्ति होगी और वह उक्त किसी लेख-पत्र को भी रोक या अभिगृहीत कर सकता है।

(6) इस धारा के अधीन किसी तलाशी या निरीक्षण के संबंध में दण्ड-प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 102 और 103 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त संहिता के अधीन किसी तलाशी या निरीक्षण पर लागू होते हैं।

(7) ऐसे माल और लेख-पत्रों का अभिगृहण किये जाने के संबंध में धारा 13-क और धारा 13 की उप-धारा (3) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

(8) उपर्युक्त माल का आयात करने वाला रजिस्टर्ड व्यापारी उपधारा (3) के अधीन उसे दिये गये घोषणा-पत्र तथा अन्य लेख-पत्रों की प्रति ऐसी अवधि के लिये रखेगा जो निर्धारित की जाय, और जब कभी उक्त अवधि में कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा मांगी जाय तो उन्हें उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा, और यदि व्यापारी यह दलील दे कि उसने माल आयात किये जाने के पश्चात् उसे राज्य के भीतर नहीं बेचा किन्तु या तो वह उसके द्वारा उपभुक्त कर लिया गया या अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान अथवा भारत के बाहर निर्यात के दौरान बेच गया था तो कर-निर्धारक अधिकारी ऐसी अन्य सूचना तथा लेख-पत्र मांग सकता है जिसे वह उचित समझे।”

11.—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में—

(क) दूसरे स्तम्भ में क्रम-संख्या 1,32,68,89 तथा 97 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायें, अर्थात्:—

“1—मनुष्य अथवा पशु-श्रम द्वारा चालित उपकरणों से भिन्न ध्वनि उपकरण, जिसके अन्तर्गत टायर और ट्यूब को छोड़कर उनके भाग और सम्बद्ध सामान भी हैं।

32—समस्त बिजली का सामान, यंत्र, उपकरण, साधन तथा समस्त ऐसी वस्तुएँ जिनका प्रयोग विद्युत् शक्ति के बिना नहीं हो सकता है और जिसके अन्तर्गत पंखे, प्रकाश वाले बल्ब, प्रतिदीप्त ट्यूब (जिनके अन्तर्गत इनको स्टार्टर, चोक, फिक्स्चर तथा फिटिंग्स और सम्बद्ध सामान भी हैं), बिजली के मृत्तिका-पात्र तथा पॉसिलेन एवं अन्य सम्बद्ध सामान तथा सहयोगी भाग, जो चाहे पूर्णतः अथवा भागतः बेचे जाते हैं, किन्तु विद्युत्-शक्ति के जनन, वितरण अथवा पारेषण के निमित्त अपेक्षित बिजली की मज्जा, संयंत्र तथा उनके सम्बद्ध सामान और इलेक्ट्रिक मोटर तथा उसके भाग इसमें सम्मिलित नहीं हैं।

1898 का
अधिनियम 5

प्रथम अनुसूची
का संशोधन

68—सभी प्रकार का कागज जिसमें हाथ का बना कागज भी सम्मिलित है, चाहे वह लिखने, छापने, नकल करने, पक करने अथवा किसी अन्य उपयोग के लिये अभिप्रेत हो।

89—देशी शराब से भिन्न सभी प्रकार की स्पिरिट और शराब, जिसके अन्तर्गत घोषित स्पिरिट, विकृत स्पिरिट, मैथाइल एल्कोहल तथा परिशुद्ध एल्कोहल भी है।

97—सभी प्रकार के और सभी पेड़ों के, चाहे वे किसी जाति के हों, काष्ठ और इमारती लकड़ी, जिसके अन्तर्गत बलियां तथा बांस भी हैं, चाहे वह उगाई जा रही हों या काट दी गयी हो या चीरी गयी हों, किन्तु जिसके अन्तर्गत उनके उत्पाद और जलाने की लकड़ी नहीं है।”;

(ख) दूसरे स्तम्भ में क्रम-संख्या 82 तथा 99 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायं, अर्थात्:—

“82—इत्र और सुगन्धियां जिनके अन्तर्गत अंगूरवत्ती और घूपवत्ती नहीं हैं।

99—टायर और ट्यूब, जिसके अन्तर्गत रबड़ के रिम्स तथा मोटर साइकिलों, मोटर स्कूटरों, मोटरों तथा मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूब नहीं हैं।”;

(ग) क्रम-संख्या 89 के पश्चात् निम्नलिखित मद 89-क बढ़ा दी जाय तथा 22 अगस्त, 1971 से बढ़ाई गयी समझी जायगी, अर्थात्:—

क्रम-संख्या	माल का विवरण	स्थल जिस पर कर लगेगा
1	2	3
89-क	इस्पात के तार	नि० अथवा प्रा०

(घ) क्रम-संख्या 108 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां बढ़ा दी जायं, अर्थात्:—

क्रम-संख्या	माल का विवरण	स्थल जिस पर कर लगेगा
1	2	3
109	ट्रैक्टरों तथा टायर और ट्यूब के अतिरिक्त, उनके भाग, सम्बद्ध सामान और संलग्न वस्तुयें	नि० अथवा प्रा०
110	बरफ	नि० अथवा प्रा०
111	चावल का चूर्ण, चावल की कनी तथा चावल की भूसी	नि० अथवा प्रा०

(ङ) इस प्रकार बढ़ाये गये क्रम-संख्या 111 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

क्रम-संख्या	माल का विवरण	स्थल जिस पर कर लगेगा
1	2	3
112	इलेक्ट्रॉनिक सामान, सज्जा, उपकरण तथा साधन, और उनके भाग तथा सम्बद्ध सामान	नि० अथवा प्रा०

द्वितीय अनुसूची
का संशोधन

12—मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में,—

(क) क्रम-संख्या 16 के सामने स्तम्भ 3 में श्रंक “31” के स्थान पर श्रंक “13” रख दिये जायं और सर्वत्र से रखे गये समझे जायं ;

(ख) क्रम-संख्या 19 के सामने स्तम्भ 2 में श्रंक “1973” के स्थान पर श्रंक तथा श्रंकर “1973-ए” रख दिये जायं और सर्वत्र से रखे गये समझे जायं; तथा

(ग) क्रम-संख्या 28 के सामने स्तम्भ 2 में श्रंक “3237” के स्थान पर श्रंक “3227” रख दिये जायं और सर्वत्र से रखे गये समझे जायं।

13—(1) किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, मूल अधिनियम की धारा 3-क या 3-घ के अधीन जारी की गई या जारी किये जाने के लिये तात्पर्यत किसी विज्ञापित अथवा धारा 3-क ख के प्रभाव से उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ से आरोपित, निर्धारित, लगाया गया या वसूल किया गया अथवा आरोपित, निर्धारित, लगाये जाने या वसूल किये जाने के लिये तात्पर्यत कोई कर, विधि के अनुसार, वैध रूप से आरोपित, निर्धारित, लगाया गया या वसूल किया गया समझा जायगा, मानो इस अधिनियम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3-क में जोड़ा गया स्पष्टीकरण उन सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त था जब ऐसा कर आरोपित, निर्धारित, लगाया गया या वसूल किया गया था।

(2) उप-धारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेषतः निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्:—

(क) उपधारा (1) में अभिविष्ट किसी कर की वापसी के लिये कोई वाद या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय द्वारा अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष न तो स्वीकार की जायेगी और न जारी रखी जायेगी, और

(ख) कोई न्यायालय ऐसे कर की वापसी के लिये कोई डिक्री या आदेश प्रवृत्त न करेगा।

अध्याय 4

यूनाइटेड प्राविन्सेज मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, 1935 का संशोधन

14—यूनाइटेड प्राविन्सेज मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, 1935, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में, स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

“(3) उक्त अनुसूची के अनुच्छेद 1, 2, 3 और अनुच्छेद 4 के खंड (1), (2) और (3) में अभिविष्ट गाड़ियों के संबंध में उपर्युक्त प्रकार से देय कर की घनराशि पर दस प्रतिशत की दर से अधिभार दिया जायगा, और ऐसा अधिभार इस अधिनियम की धारा 11 तथा अन्य उपबन्धों के प्रयोजनों के लिये अतिरिक्त कर समझा जायगा।”

15—मूल अधिनियम की धारा 5 में, द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रख दिया जाय, अर्थात्:—

“अपेक्षित प्रतिबन्ध यह है कि धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन 15 नवम्बर, 1971 से 31 दिसम्बर, 1971 तक की अवधि के लिये देय अतिरिक्त कर का भुगतान 15 जनवरी, 1972 को या उससे पूर्व किया जायेगा।”

16—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में,—

(क) भाग 'बी' (परिवहन गाड़ियाँ), अनुच्छेद संख्या 4 (यात्रियों तथा यात्रियों के हल्के वैयक्तिक सामान को ले जाने के लिए भाड़े पर चलने वाली गाड़ियाँ) के संबंध में, द्वितीय तथा तृतीय स्तम्भ में प्रविष्टि (2) और (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ 1 जनवरी, 1972 से रखी गयी समझी जायेंगी, अर्थात्:—

“स्तम्भ-2	स्तम्भ-3	
(2) ड्राइवर को छोड़कर चार व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली		400
(3) ड्राइवर को छोड़कर चार से अधिक किन्तु छः से अनधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली	(क) तीन पहियों वाली (ख) अन्य	400 500 ⁰⁰

(ख) भाग 'बी' के पश्चात् निम्नलिखित भाग 'सी' बढ़ा दिया जाय और उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1969 के अध्याय 5 के प्रारम्भ होने के दिनांक से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्:—

“भाग 'सी'

स्पष्टीकरण

1—जब किसी मोटर गाड़ी का प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिये किया जाय या ऐसी रीति से प्रयोग किया जाय जिससे कि उस पर इस अनुसूची के एक से अधिक अनुच्छेद के अधीन कर लगाया जा सके, तो ऐसा कर उच्चतम सम्पुष्कत दर पर देय होगा।

शु. पी. 0 एक संख्या 5, 1938 की धारा 4 का संशोधन

धारा 5 का संशोधन

प्रथम अनुसूची का संशोधन

निम्नलिखित है, चाहे लिये अभिप्रेत हो।
जिसके अन्तर्गत
हल भी है।
न के हों, काट कर
वह उगाई जा
उक्त उनके अन्तर्गत
विधियों के स्थान पर
रखी नहीं हैं।
र साइकिलों, मोटर
हैं।”
दी जाय तथा 22
न पर कर लगेगा
3
अथवा धा.
अर्थात्:—
पर कर लगेगा
3
अथवा धा.
अथवा धा.
अथवा धा.
बढ़ा दी जाय,
र कर लगेगा
3
अथवा धा.
अथक “13”
अथक तथा
अंक “3227”

2—'भार-विहीन वजन' का तात्पर्य गाड़ी के उस समय का वजन है जब वह भार-विहीन हो और इसमें ऐसे समस्त पुर्ज, सज्जा, सामान, ईंधन, जल और संचायक सम्मिलित हैं, जो गाड़ी के लिए, जब वह चलती हो, आवश्यक हों और संचारणतया गाड़ी के साथ प्रयोग में आते हों।

3—'प्राधिकृत भार' का तात्पर्य माल के उस अधिकतम भार से है जिसे गाड़ी में वह करने की अनुमति हो और जिसे गाड़ी के रजिस्ट्रीकृत भारयुक्त वजन में से भार-विहीन वजन को घटाकर निकाला जा सके।

4—'वायवी (न्यूमैटिक) टायर' का तात्पर्य उस टायर से है जिसमें यांत्रिक हवा के हवा भरी गयी हो।

5—'लचीले टायर (रेजीलियेंट टायर)' का तात्पर्य उस टायर से है जो भारत-निर्मित रबर से बना हो, किन्तु वायवीय टायर न हो और जिसकी मोटाई इतनी हो कि वह पहिये के रिम से उन्नीस मिलीमीटर से कम बाहर न निकली रहे।

6—'लचीलापन-रहित टायर' का तात्पर्य उस टायर से है जो न तो वायवीय टायर हो और न लचीला टायर हो।

7—यदि कोई मोटर गाड़ी शायिका (स्लीपिंग बर्थ) से सज्जित हो तो प्रत्येक शायिका, अनुच्छेद 4, 5 और 7 के प्रयोजनार्थ, दो यात्रियों के बंधने के स्थान के बराबर समझी जायेगी।

8—किसी ऐसी मोटरगाड़ी से, जिस पर अनुच्छेद 4 से 7 में से किसी के अधीन कर लगाया जा सकता हो, सम्बद्ध या उसके द्वारा खींचे जाने वाले प्रत्येक ट्रेलर को ऐसी पृथक् मोटर गाड़ी समझा जायेगा जिस पर उक्त अनुच्छेदों द्वारा चिह्नित समुपयुक्त कर लगाया जा सकता है।

अध्याय 5

इण्डियन स्टैम्प ऐक्ट, 1899 का संशोधन

अतिरिक्त कर से भारतीय अन्य संलेख-पत्र

17—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा-संशोधित इण्डियन स्टैम्प ऐक्ट, 1899 में, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3-ए के पश्चात्, निम्नलिखित धारा घड़ा दी जाय, अर्थात्:—

"3-ए—(1) अनुसूची 1-बी के अनुच्छेद संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 17-ए, 17-बी, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 34-ए, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 (बी) या (सी), 63, 64 या 65 के साथ पठित धारा 3 के अधीन शुल्क-भारतीय प्रत्येक संलेख-पत्र पर ऐसे शुल्क के अतिरिक्त 10 पैसे शुल्क होगा।

(2) इस अधिनियम के उपबन्ध, यथा सम्भव, उपधारा (1) के अधीन भारतीय अतिरिक्त शुल्क पर उसमें अभिविष्ट संलेख-पत्रों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उन संलेख पत्रों के संबंध में धारा 3 के अधीन भारतीय शुल्क के संबंध में लागू होते हैं।

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के प्रारम्भ होने के दिनांक के ठीक पूर्व प्रवृत्त धारा 9 के उप-धारा (ए) के अधीन कोई ऐसा नियम या आदेश, जिसमें किसी संलेख-पत्र या किसी वर्ग के संलेख पत्र पर देय शुल्क को कम किया जाय अथवा छूट दी जाय, उस संलेख-पत्र पर उपधारा (1) के अधीन भारतीय अतिरिक्त शुल्क के सम्बन्ध में लागू न होगा।

अधेतर प्रतिबन्ध यह है कि उप-धारा (1) के अधीन भारतीय अतिरिक्त शुल्क धारा 3 के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ शुल्क की कुल धनराशि में शामिल नहीं किया जायेगा।"

अनुसूची 1-बी का संशोधन

18—मूल अधिनियम की अनुसूची 1-बी में,—

(क) वर्तमान अनुच्छेद 25-ए की संख्या बदल कर 34-ए कर दी जाय;

(ख) अनुच्छेद 25 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद घड़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"25-ए—माल के क्रय या विक्रय पर कर से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रखने के लिये अपेक्षित पांच रुपये से अधिक धनराशि के लिये किसी बिल या फंडा मीम का प्रतिरूप या द्वितीय प्रति (जिसके अन्तर्गत प्रति-पत्र या कागज प्रति भी है)—दस पैसे।

टिप्पणी : इस अनुच्छेद में नियत शुल्क के सम्बन्ध में धारा 3 का स्पष्टीकरण लागू नहीं होगा।"

अध्याय 6

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 का संशोधन

19—उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 की धारा 3 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएँ और स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जायें, अर्थात् :—

“(3) इस उपधारा के प्रवर्तन के दिनांक से और उसके पश्चात् ऐसी यात्री गाड़ी द्वारा, जो केवल नगर या नगरपालिका की सीमाओं के भीतर चलाई जाने वाली यात्री गाड़ी न हो, ले जाये जाने वाले प्रत्येक यात्री के लिये किराये पर दस पैसे की दर से अतिरिक्त कर (यदि ऐसी यात्री के लिये साधारण किराया एक रुपये से कम न हो) लगाया जायेगा जो उस यात्री द्वारा राज्य में प्रत्येक यात्री के सम्बन्ध में यात्री गाड़ी के परिचालक को देय होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के अधीन अतिरिक्त कर, ठेका गाड़ी की दशा में, उन यात्रियों की संख्या के सम्बन्ध में, जिनके सम्बन्ध में उसमें स्थान की व्यवस्था है, लगाया जायेगा, चाहे वास्तव में ले जाये जाने वाले यात्रियों की संख्या कुछ भी हो।

(4) इस अधिनियम के उपबन्ध, यथासम्भव, उपधारा (3) के अधीन भारतीय अतिरिक्त कर के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उपधारा (1) के अधीन कर के संबंध में लागू होते हैं, किन्तु धारा 5 की उपधारा (1) का द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड उक्त अतिरिक्त कर के सम्बन्ध में ऐसे परिवर्द्धन या परिष्कार के साथ लागू होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा निदेश दे।

स्पष्टीकरण—इस धारा में पद “नगर” और “नगरपालिका” के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 और यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में उनके लिये दिये गये हैं।”

20—उत्तर प्रदेश कर-विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1971 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उ० प्र० अधि-
नियम संख्या 9,
1962 की धारा
3 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अध्या-
देश संख्या 18,
1971 का
निरस्तन

जब वह भार-विहीन
सम्मिलित है, जो गाड़ी
रोग में आते हैं।

जिसे गाड़ी में बहुत
भार-विहीन धजन को

में यांत्रिक दबाव है

जो भारत-निर्मित
बहु पहिये के रिक्

वीय टायर ही और न

तो प्रत्येक शापिका,
झी जायेगी।

अधीन कर लगाया
मोटर गाड़ी समस्त

स्टैम्प ऐक्ट, 1899
निम्नलिखित धारा

6, 7, 8, 9, 10,
13, 24, 25, 26,
42, 43, 44, 45,
) या (सी), 63,
संश्लेष-पत्र पर ऐसे

भारतीय अतिरिक्त
होंगे जिस प्रकार
न लागू होते हैं:

त धारा 9 के खण्ड
या किसी वर्ग के
उस संश्लेष-पत्र पर
होगा:

अतिरिक्त शुल्क
मिल नहीं किया

जाय;

य, अर्थात् :—

मय प्रयुक्त किसी
के लिये किसी
न-पत्र या कामें

3 का स्पष्टीकरण